

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 नवम्बर 2021—अग्रहायण 3, शक 1943

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2021

क्र. एफ-01-16-2021-सत्रह-मेडि-1.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश, एतद्वारा, उक्त अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों के अधीन कृत्यों को करने के उद्देश्य के लिए डॉ. ए. आर. निकम को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य के लिए खाद्य विश्लेषक के रूप में, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए नियुक्त करती है।

No. F-01-16-2021-XVII-M-1.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Commissioner, Food Safety, Madhya Pradesh, hereby, appoints Dr. A. R. Nikam as Food Analyst, for the whole of the State of Madhya Pradesh for the purpose of performing functions under the said Act and the rules and regulations made thereunder, for a period of 6 months from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. त्रिपाठी, उपसचिव.